

assistance to the SSIs in the form of Investment Subsidy, Power Subsidy, Re-imbursement of the cost of preparation of project reports, concessions regarding Sales Tax and concessions on Entry Tax. Recommendations of the study conducted by the NPC are being examined by the Government for bringing about further improvement to support services and infrastructure facilities for the SSI Sector.

Industries set up in Madhya Pradesh

3867. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of big and medium industries set up in Madhya Pradesh during the post liberalisation period as on date with details thereof;

(b) their number in the private and joint sectors separately;

(c) the employment generated by these industries in the State; and

(d) the steps Government propose to take to encourage industrialisation in the State?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) From August 91 to March 97, a total number of 199 units have been set up in the delicensed sectors and 15 units have been set up in the licensed sectors.

(b) Out of the total 214 units, 198 units were in private sector and one in joint sector.

(c) The direct employment proposed to be generated in these 214 units is about 53,540 nos.

(d) Government of India has taken many policy initiatives in the areas of Delicensing of Industrial Approvals, foreign direct investment, import and export policies, reforms in financial and infrastructure sectors, etc. State Governments are also being encouraged to adopt matching policies, and this is a continuous process.

Restriction on production of luxury cars

3868. SHRI NARENDRA PRADHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have decided to restrict the production of luxury cars in order to contain and curb oil bill; and

(b) if so, the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Manufacture of passenger cars is delicensed and no approval of Government is necessary for manufacture of any type of passenger car. The choice is left to the manufacturer and the market forces.

उदार आयात नीति का उद्योग पर कुप्रभाव पड़ना

3869. श्री राम जैठमलानी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत हाल में 542 मर्दों के आयात के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाने की सरकार की घोषणा के परिणामस्वरूप देश के उद्योगजगत पर पड़ने वाले कुप्रभाव से संबंधित सरकार का आकलन क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन 542 मर्दों में से अधिकांश वस्तुएं आम आदमी के दैनिक उपयोग की हैं जिनका उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत होता है;

(ग) यदि हाँ, तो इन मर्दों के नाम क्या हैं; और

(घ) देश में इन मर्दों के उत्पादन को सरल एवं सहज आयात के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए स्वदेशी निर्यातों के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली नारन): (क) और (ख) 1997-98 की निर्यात-आयात नीति में 542 अतिरिक्त मर्दों को आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस और विशेष आयात लाइसेंस के तहत रखा गया है। यह हमारे उद्योगों को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति का एक भाग है।

(ग) खुले सामान्य लाइसेंस, विशेष आयात लाइसेंस के तहत रखी गयी 542 मर्दों में से मात्र 5 मर्दें (श्रेणियाँ) ही लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित रखी गयी हैं जिनमें से 3 दैनिक/सामान्य उपयोग की हैं [बमड़े की साज चढ़ाना, ब्रेड, शीशे का सामान (बरेलु)]।

(घ) उपर्युक्त मर्दों का विनिर्माण करने वाले उद्योगों सहित लघु उद्योगों को अनेक प्रोत्साहन व छूट प्रदान की जाती है ताकि देश की समग्र अर्थव्यवस्था को भीतर लघु क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया जा सके। इनमें शामिल हैं—उत्पाद शुल्क में छूट, वरीयता क्षेत्र भ्रमण, प्रौद्योगिकी और विस्तार सहायता सेवाएँ एवं सरकारी खरीद में लघु उद्योग उत्पादों का आरक्षण व मूल्य वरीयता।